प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या : UPFS/2026/200085/KPN/KANPUR NAGAR/5422/CFO
दिनांक : 22-05-2026

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स **TAKSHSHILA INTERNATIONAL EDUCATION CENTRE** पता **PLOT NO 129,GREATER KAILASH ,J.K.1 ROAD JAJMAU,KANPUR NAGAR** तहसील - **SADAR** प्लाट एरिया **1738.00 sq.mt** (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया **5217.00** (वर्ग मीटर), ब्लाकों की संख्या - **1** जिसमे -

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लाक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
TAKSHSHILA INTERNATIONAL	4	0	13.00 mt.

है। भवन का अधिभोग मेसर्स **TAKSHSHILA INTERNATIONAL EDUCATION CENTRE** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण द्वारा दिनांक **13-06-2026** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **ANIL CHAURASIYA E-Mail ID : tieckanpur@gmail.com Mobile No. : 9450008555** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **13-06-2026** से **12-06-2031** तक **5** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स **TAKSHSHILA INTERNATIONAL EDUCATION CENTRE** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स **TAKSHSHILA INTERNATIONAL EDUCATION CENTRE** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों , सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।"

Note : Operational Since Long, Hence, The NOC is issued as per G.O on 07.01.2022 & F&ES ACT 2022/RULES 2024 for (G+3) FLOORS ONLY as per the Physical Site Inspection&Verification with Recommendations of FSSO K-7: 1.To Maintain Fire & Life Safety & Smoke Management System as per the Norms Always. 2.To Provide One More Stairs of width 1.50 metre at Earliest. 3.To Comply for Electrical Safety Audit MANDATORILY for entire Premises. 4.To Comply for Bye Laws as per COMPETENT AUTHORITY Approval &The Drawing Approval is Mandatory from COMPETENT AUTHORITY. 5.Issued NOC will be Cancelled Automatically In case of any deviation as per the above Conditions or Wrong FSSO Inspection Report.

निर्गत किये जाने का दिनांक : 13-06-2026
स्थान : KANPUR NAGAR

हस्ताक्षर - (डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

DEEPAK SHARMA

D294717EEDD2F2586BB24BD5D6D9135AD528C0BF

13-06-2026

Note:- Kinldy check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.